B.M. 118 C.
BM. 117.C

(59)

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र. क्र. /2007/पुनरीक्षण
R 1187-I/07

12/7/07

महिला लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. सुभाषचंद आयु 55 वर्ष, निवासी निजी नवग्रहमंदिर के पीछे कमलागंज शिवपुरी.......................................आवेदिका
द्वारा कैलाश सिंहल मुख्तयारआम, कर्ताखानदान

बनाम

मध्यप्रदेश शासन .... अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन धारा 50 (IX) - A, B, म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के अंतर्गत। तथा धारा 8 (1), (2), (3) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण के अंतिम निराकरण हेतु।

कैलाश सिंहल
दि. 12-7-07

न्यायालय श्री आदित्यसिंह तोमर अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी, के प्र.क्र. 35/2003-04/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 22.02.07 से परिवेदित होकर उसके विरूद्ध।

12/7

श्रीमान महोदय,

सेवा में आवेदिका की ओर से पुनरीक्षण समयावधि में वैधानिक बिंदुओं पर आधारित होकर

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./1187/एक/2007 जिला- शिवपुरी

महिला लक्ष्मी देवी आदि विरूध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/5/19	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 35/2003-04/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 22/02/2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 17/5/19	